आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध (भू–मापी) अपील वाद संख्या– 05/2015–16

पूनम सिंह –बनाम्– झारखण्ड सरकार एवं इफ्तेखार अहमद सिद्दीकी

–:आदेश:–

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

02/8/18

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अपीलार्थी पूनम सिंह पति–अनुज कुमार सिंह, सा0–हाउसिंग कॉलोनी, बालीडीह, पो0+थाना–बालीडीह, जिला–बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के भू–मापी अभिलेख सं0–44/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
तेतुलिया	38	59/160	471/821	0.08 ए0

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन एवं लिखित बहस में उल्लेख किया है कि मौजा तेतुलिया, खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471 का कुल रकवा 2.92 ए0 खेवट सं0 4/1 से 4/10 के खेवटदार टिकैत मनमोहन सिंह के नाम से खतियान में दर्ज था जिसका Tenure Holder साहेबराम सिंह एवं अन्य थे। साहेब राम सिंह एवं अन्य के द्वारा राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण तत्कालीन जमींदार के द्वारा Rent Suit 260/1928–29 Deputy Collector Purulia दाखिल किया था। Suit डिक्री होने के पश्चात् साहेब राम सिंह एवं अन्य के द्वारा तत्कालीन जमींदार राजकुमार टिकैट मनमोहन सिंह को इस्तीफा सं0 5018 दिनांक 25.11.1933 को सम्पूर्ण भूमि दे दिया तत्पश्चात् बंदोबस्ती वाद सं0 125/1934–35 के द्वारा टिकैट मनमोहन सिंह ने राजकुमार रामेश्वर नारायण सिंह को बंदोबस्त कर दिया। वर्ष 1939 ने भर्रा महाल इस्टेट को इकम्बड इस्टेट नोटिफिकेशन सं0 1021 दिनांक 13.07.1939 के द्वारा घोषित किया गया। रामेश्वर नारायण सिंह के दो पुत्र कुँवर युवराज सिंह एवं रामाकान्त सिंह हुए जिन्होनें दखल काबिज रहते हुए पंजीकृत 471 दिनांक 12.01.1984 को धना देवी को 2.93 ए0, खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471 को बिक्री किया धना देवी मृत्योपरान्त वारिस सुत्र से शैलेश कुमार सिंह को प्राप्त हुआ। शैलेश कुमार सिंह, धना देवी का नाती है। शैलेश कुमार सिंह ने पंजीकृत केवाला सं0 7483 दिनांक 23.12.2013 को रकवा 8 डी0 भूमि श्रीमती पूनम सिंह, पति अनुज कुमार सिंह को बिक्री किया जिसका चौहद्दी उत्तर–गरगा नदी, दक्षिण–कच्ची रास्ता, पूरब एवं पश्चिम– प्लॉट सं0 471 का अंश के साथ किया। खरीदगी के पश्चात् अपीलार्थी ने पक्का बाउण्ड्री बड़ा लोहे का गेट दो एसबेस्टस का कमरा बनाकर दखल कर रहते हुए 10 शीशम का पेड़ लगाये। इन्होने बताया कि अपने आर्मी पुत्र के पास पन्नागढ़ गये इसी बीच विपक्षी के द्वारा जबरन अपीलार्थी के ईंटा, बालू, क्रंकीट से प्लींथ लेबल का मकान बना दिया। मना करने

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	पर नहीं माने एवं तब न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास के द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ रखा। जबकि विपक्षी का दावा खाता सं0 35, प्लॉट सं0 470, रकवा 8 डी0, जो प्लॉट सं0 471 के दक्षिण में स्थित है। अपीलार्थी के द्वारा यह भी उल्लेंख किया कि विपक्षी की भूमि संदेहात्मक है। क्योकि विपक्षी के चौहद्दी में उत्तर नदी दर्शाया गया जबकि प्लॉट सं0 470 के उत्तर प्लॉट सं0 471 एवं प्लॉट सं0 471 के उत्तर नदी स्थित है। विपक्षी के Title deed सं0 2042 दिनांक 29.03.2012 के तपशील में मौजा तेतुलिया के अन्दर चास रजिस्ट्री ऑफीस का रजिस्ट्रीकृत्त बिते दिनांक 29.01.2005 साल का केवाला दस्तावेज सं0 580 द्वारा मो0 हासीम से मेरे निज नाम का खरीदा हुआ है। जिसमें रकवा 8.00 डी0 सम्पूर्ण बिक्री का उल्लेंख किया गया है, परन्तु केवाला दस्तावेज सं0 580 दिनांक 19.01.2005 के तपसील में केवाला सं0 3884 दिनांक 21.06.1983 का मुहफुज आलम सिद्दकी की खरीदगी सम्पत्ति है, जिसमें खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471 एवं खाता सं0 35, प्लॉट सं0 470 में 10.00 डी0 का उल्लेंख किया गया है। केवाला सं0 3884 दिनांक 21.06.1983 के तपसील में मात्र खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471, रकवा 10.00डी0 का उल्लेंख किया गया है। इन्होनें यह भी उल्लेंख किया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत Title Deed का Chain से दस्तावेज जाली प्रतीत होता है। इनके द्वारा बताया गया है कि अंचल अधिकारी, चास के मापी प्रतिवेदन में मौजा तेतुलिया, खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471, रकवा 08.00 डी0 भूमि अपीलार्थी की खरीदगी भूमि होने का उल्लेख है, जबकि विपक्षी का खरीदगी भूमि खाता 35, प्लॉट सं0 470, रकवा 08.00 डी0 अन्यत्र है। अन्त में अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, चास के भू–मापी अभिलेख सं0–44/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेंख किया है कि वाद चलने योग्य नहीं है। इन्होनें अपने लिखित आवेदन में उल्लेंख किया है कि मौजा तेतुलिया, खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471, रकवा 02.92ए0 सर्वे खतियान में गैराआबाद भूमि अंकित है। विपक्षी के द्वारा 08.00डी0 भूमि मौजा तेतुलिया, खाता सं 35, प्लॉट सं0 470, केवाला सं0 2042 दिनांक 29.03.2012 को स्पष्ट चौद्दी से खरीदा है। जिसकी चौहद्दी उत्तर–नदी, दक्षिण–रास्ता, पूरब–विक्री प्लॉट का अंश एवं पश्चिम विक्री प्लॉट का अंश एवं दाखिल खारिज करवाकर राजस्व का भुगतान कर रहे है। अंचल अधिकारी के द्वारा भू–मापी केस सं0 44/2015–16 का संबंध खाता सं0 59, प्लॉट सं0 471 और खाता सं0 35, प्लॉट सं0 470 से संबंधित है। इन्होनें यह भी कहा है कि स्वत्व एवं अधिकार का निर्णय सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार में पड़ता है। इन्होनें यह भी उल्लेंख किया है कि इसके पूर्व धारा 144 C.R.P.C. का एम0पी0 वाद 259/2013 चला था, जो समाप्त हो चुका है। पुनः एम0पी0वाद सं0 499/2013 धारा 107 जो समाप्त हो गया है। इन्होनें पारा 16 में प्रथम पक्ष के भूमि होने का उल्लेंख किया है। इन्होनें यह भी उल्लेंख किया है कि विपक्षी के द्वारा विद्युत कनेक्शन 2013 में झारखण्ड सरकार विद्युत विभाग के द्वारा लिया गया है। अतः में इस वर्तमान अपील को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

...0 563

117

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास द्वारा कार्यालय पत्रांक 1115 दिनांक 05.07.2017 से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा स्थलीय जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष पूनम सिंह पति–अनुज कुमार सिंह द्वारा केवाला सं0–7483 दिनांक 23.12.2013 से खाता नं0–59/160 प्लॉट नं0–471/821 रकवा 2.92 एकड़ में से 0.08 एकड़ भूमि क्रय किया गया है जिसका चौहद्दी उत्तर–गरगा नदी, दक्षिण–कच्चा रास्ता, पूरब एवं पश्चिम–प्लॉट नं0–471 का बाकी अंश है जो प्लॉट नं0–471 में पड़ता है। द्वितीय पक्ष इफ्तेखार अहमद सिद्दीकी पिता–स्व0 अली अब्बास सिद्दीकी के द्वारा केवाला सं0–2042 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा खाता नं0–35, प्लॉट नं0–470 रकवा 0.08 एकड़ भूमि क्रय किया गया है जिसका चौहद्दी उत्तर–नदी, दक्षिण–रास्ता, पूरब–बिक्रीत प्लॉट का बाकी अंश एवं पश्चिम–बिक्रीत प्लॉट का बाकी हिस्सा लिखा हुआ है लेकिन सर्वे नक्शा के अनुसार उत्तर में प्लॉट नं0–471 पड़ता है जो द्वितीय पक्ष के केवाला चौहद्दी के मुताबिक गलत है। प्लॉट नं0–470 सर्वे नक्शा के अनुसार प्लॉट नं0–471 के दक्षिण में पड़ता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल कागजातो एवं अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अपीलार्थी का दावा मौजा तेतुलिया, खाता सं0 59/160, प्लॉट सं0 471/821, रकवा 0.08 ए0 भूमि तथा विपक्षी का दावा मौजा तेतुलिया, खाता सं0 35, प्लॉट सं0 470, रकवा 0.08 ए0 भूमि से है। अंचल अधिकारी द्वारा भू–मापी अभिलेख सं0–44/2015–16 की कार्यवाही थाना प्रभारी, सेक्टर–12 के डी0आर0 नं0–495/2015 दिनांक 21.05.2015 के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने आदेश फलक में प्रतिवेदित किया गया है कि मामला स्वत्व से संबंधित है। साथ ही अंचल अमीन द्वारा अपने मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि जबतक विवादित स्थल के अंदर मापी नहीं होता है तबतक सही–सही दोनों प्लॉट को अलग नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, चास के स्थलीय जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि प्रथम पक्ष पूनम सिंह का केवाला चौहद्दी के मुताबिक मिलता है एवं द्वितीय पक्ष का केवाला चौहद्दी के मुताबिक गलत है। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, चास द्वारा विवादित भूमि की सम्पूर्ण मापी न कर मामला स्वत्व से संबंधित होने का उल्लेख कर वाद की कार्ययाही समाप्त की गई है। उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चास के पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 को निरस्त किया जाता है एवं वाद की कार्ययाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 02/08/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास। 02/08/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास।	

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:05:36 +05:30
Location: 192.168.1.42